न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री हरि सिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
गोरधनराम पुत्र किस्तुरराम बलाई निवासी डूगंरवास तह. लक्ष्माणगढ		1. राजूराम पुत्र प्रभूराम बलाई सा. नांवा 2. पुखराज पुत्र प्रहलादराम मेघवंशी सा. जाबदीनगर 3. फुलादेवी पत्नी सत्यनारायण खटीक सा. नांवा 4. नन्दकिशोर पुत्र सत्यनारायण खटीक सा. नांवा 5. मदनलाल पुत्र भैरूराम खटीक सा. नांवा 6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– बंटवारा

उपस्थित :– श्री हनुमानाराम वकील वादी

श्री हरिराम गुर्जर वकील प्रतिवादी 5

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा वकील प्रतिवादी 2

मुकदमां नम्बर :– 577/2016 निर्णय दिनांक :– 29.01.2018

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 66 रकबा 4.36 हैक्टयर भूमि में 1/4 हिस्सा वादी का , 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 1 का 124 हिस्सा प्रतिवादी 2 का तथा 1/8 हिस्सा प्रतिवादी 3, 4 का एवं 1/8 हिस्सा प्रतिवादी 5 मदनलाल की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं उपरोक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा यानि 1.09 हैक्टयर भूमि उत्तरी तरफ स्थित हैं शेष 3.27 हैक्टयर दक्षिणी तरफ स्थित हैं मौके पर भूमि का बंटवारा होकर अलग अलग सीवे नीवे कायम हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज हैं जिससे वादी विधिक फायद

उपखण्ड अधिकारी
नावां

नहीं उठा रहा हैं वादी मुताबिक कब्जा काश्त अपनी खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कराने का कानूनी अधिकारी है। वादी ने वाद पेश कर अपने हक हिस्सा की भूमि का बंटवारा कर अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी 2 व 5 की ओर से वकील श्री हरिराम गुर्जर ने उपस्थित दी हैं लेकिन जवाब पेश नहीं कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से माफिक बंटवारा कर अलग अलग होल्डिंग कायम किऐ जाने बाबत सहमति दी है, शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं एक पक्षीय कार्यवाही की की जाकर वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 66 रकबा 4.36 हैक्टयर भूमि नाथू पुत्र गोरधनलाल बलाई, 1/4, हरीश पुत्र मालचन्द हिस्सा 1/4 , पुखराज पुत्र प्रहलादराम हिस्सा 1/4 नन्दकिशोर पुत्र सत्यनारायण 1/8 हिस्सा मदनलाल पुत्र भैरूराम 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं जिसमें हरीश पुत्र मालचन्द 1/4 हिस्सा बैचान करने पर राजूराम पुत्र प्रभूराम तथा नाथूराम पुत्र गोरधन के स्थान पर गोरधन पुत्र किस्तूराराम हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड हैं रिकार्ड के अनुसार वादी के वाद की तायद होती हैं वाद में वर्णित हक हिस्से अनुसार ही खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं तथा वादी का [illegible] हैं भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो रखा हैं संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तत्पश्चात वादी व प्रतिवादीगण की बहस सुनी जाकर वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार नांवा ने अपने पत्रांक भू.अ./2018/4755 दिनांक 11.01.2018 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं को बंटवारा प्रस्ताव का

उपखण्ड अधिकारी
नांवा

अवलोकन करवाया गया। जिसको सही होना स्वीकार किया हैं तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किऐ जाने का निवेदन किया हैं जिससे वादी का वाद साबित होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 66 रकबा 4.36 हैक्टयर भूमि में बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार सबसे उत्तरी तरफ 1.09 हैक्टयर का वादी गोरधनराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं इसके दक्षिण में 1.09 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी पुखराज की खातेदारी में तथा इसके दक्षिण में 1.09 हैक्टयर भूमि का प्रतिवादी राजूराम की खातेदारी में तथा इसके दक्षिण में प्रतिवादी फुलादेवी पत्नी सत्यानारायण, व नन्दकिशोर पुत्र सत्यनारायण की संयुक्त खातेदारी में 0.55 हैक्टयर भूमि तथा सबसे दक्षिण में प्रतिवादी मदनलाल पुत्र भैरूराम की खातेदारी में 0.54 हैक्टयर भूमि के खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जाती है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर पत्येक की अलग अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प डुयुटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि सिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा

उपखण्ड अधिकारी,
नांवा